

प्रेषक

अशोक कुमार सिंह
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक -

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 363.00 लाख (रूपये तीन करोड़ तिरेसठ लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर चालू योजनान्तर्गत "श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण" की अवधि विस्तार की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि " श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 363.00 लाख (रूपये तीन करोड़ तिरेसठ लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर वित्त विभाग के संकल्प सं0- 96 वि0 (2) दिनांक- 03.01.2008 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. इसके अन्तर्गत ही इस वार्षिक कार्य योजना पर तत्काल व्यय किया जायेगा । यह चालू योजना है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभागीय पत्रांक-1607 दिनांक 11.06.2014 द्वारा इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

3. उक्त स्वीकृत राशि आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-मांग सं0-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड- पी 2230011010108) के अन्तर्गत निम्नांकित इकाईयों से विकलनीय होगा :-

13-01	-	कार्यालय व्यय	-	35,16,000/-
13-02	-	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	-	97,34,000/-
20-02	-	कान्फरेन्स कार्यशाला, सेमिनार	-	12,00,000/-
20-03	-	प्रशिक्षण व्यय	-	3,00,000/-
26-01	-	विज्ञापन और प्रकाशन	-	12,00,000/-
28-01	-	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	-	3,50,000/-
53-01	-	मुख्य निर्माण कार्य	-	2,00,00,000/-
योग	-		-	₹ 3,63,00,000/-

(रूपये तीन करोड़ तिरेसठ लाख) मात्र ।

4. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 363.00 लाख (रूपये तीन करोड़ तिरेसठ लाख) मात्र उद्व्यय /बजट उपबंध स्वीकृत है । जिसके विषयवार अनुमानित व्यय विवरण निम्न प्रकार है:-

(क)	कम्प्यूटराईजेशन एवं आधुनिकीकरण पर व्यय	-	₹ 29.16 लाख
(ख)	संविदा के आधार पर वाहन की व्यवस्था हेतु	-	₹ 97.34 लाख
(ग)	न्यूनतम मजदूरी का प्रचार-प्रसार पर व्यय	-	₹ 12.00 लाख
(घ)	लेखन सामग्री पर व्यय	-	₹ 6.00 लाख

(ड.)	सेमिनार, वर्कशॉप, प्रशिक्षण एवं सिम्पोजियम पर व्यय	-	₹ 12.00 लाख
(च)	राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु क्षमता निर्माण	-	₹ 0.50 लाख
(छ)	पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता का उन्नयन (प्रशिक्षण) पर व्यय	-	₹ 2.50 लाख
(ज)	डाटा इंटी ऑपरेटर के पारिश्रमिक के भुगतान पर व्यय	-	₹ 3.50 लाख
(झ)	बिहार श्रम एवं नियोजन संस्थान की स्थापना	-	₹ 200.00 लाख
			₹ 363.00 लाख

(रूपये तीन करोड़ तिरेसठ लाख) मात्र ।

5. प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की सहमति प्राप्त है ।
6. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।
7. इसकी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना /मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना /सभी उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित) /सभी सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)/ सभी श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक सहित) /श्रमायुक्त के सचिव, बिहार, पटना /मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना /सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/ सभी कारखाना निरीक्षक /मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना /सभी वाष्पित्र निरीक्षक एवं प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे ।
8. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/ उप कोषागार/ विकास भवन कोषागार, पटना / सिंचाई भवन कोषागार, पटना से होगी ।

विश्वासभाजन,

६०१-

(अशोक कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञाप संख्या-06/एफ1-308/2015 श्र0सं0-

1524

पटना, दिनांक

26.5.15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी/ निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/ मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना /मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना / मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना / सभी उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)/ सभी सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)/ सभी श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक सहित)/ श्रमायुक्त के सचिव, बिहार पटना / सभी कारखाना निरीक्षक / सभी वाष्पित्र निरीक्षक / प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, बिहार, पटना / सभी कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी /आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 (सरकार पक्ष)/ प्रशाखा-06 श्रम पक्ष (05 अतिरिक्त प्रति के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अशोक कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

26/5/15